राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.6()आ.कृ./रसायन/सा.है.कार्ड/2016–17/ दिनांकः

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना (एस एच सी एस) के कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से राष्ट्रव्यापी सॉयल हैल्थ कार्ड योजना लागू की है। योजना में दो वर्ष में राज्य की सभी कृषि जोत को सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने है। योजना के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्य प्रकिया निर्धारित करते हुये दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

प्रस्तावना :–

राज्य में प्राकृतिक रूप से प्रमुखतः 5 वर्गो की मृदायें है जो कि भिन्न–भिन्न गुणों एवं क्षमताओं वाली है। फसलों से उपयुक्त उत्पादन प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि फसल उगाने के पूर्व मृदा की गुणवत्ता, उर्वरकता आदि की जानकारी प्राप्त कर इसके अनुसार खेती की जायें। इसलिए **मृदा की जॉच महत्वपूर्ण है।**

संतुलित खाद एवं उर्वरक प्रबंध को बढावा देने हेतु विभाग द्वारा मृदा परीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषकों के खेतों से प्राप्त होने वाले मृदा नमूनों की जांच कर खाद एवं उर्वरक उपयोग की सिफारिश सॉयल हैल्थ कार्ड के माध्यम से दी जाती है। मृदा जॉच का लाभ सीधे कृषकों तक पहुचानें हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का कार्य किया जा रहा है जिसमें वर्ष 2015–16 तक 43.44 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। फलस्वरूप कृषकों को मृदा जांच एवं इसकी सिफारिश अनुसार खाद व उर्वरक प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने में सहायता मिली है।

भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण को अधिक व्यापक एवं सुदृढ बनाने के लिये विस्तृत परियोजना वर्ष 2014–15 से लागू की है जिसके अन्तर्गत राज्य में कृषि जोतों की मृदा जॉच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जाने का कार्यक्रम तय किया गया है जिसे **सॉयल हैल्थ कार्ड योजना** के रूप में परियोजना स्तर पर चलाया जा रहा है। राज्य के समस्त 68.86 लाख जोतों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाना प्रस्तावित है ।

योजना के अवयव :–

1. योजना अन्तर्गत राज्य को दो वर्षो में 23.08 लाख नमूनों के संग्रहण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जिनकी जांच के आधार पर लगभग 70.00 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित है। वर्ष 2015–16 में 8.92 लाख नमूनों का संग्रहण किया जाकर 3.85 लाख नमूनों की जांच उपरान्त 10.15 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों वितरण किया गया। वर्ष 2016–17 में 14.14 लाख नमूनों का संग्रहण किया जाकर 19.21 लाख नमूनों की जांच उपरान्त 57.65 लाख सॉयल हैल्थ कार्ड किसानों वितरण किया जाना प्रस्तावित है। जिलेवार मिटटी नमूना संग्रहण,विश्लेषण एवं सॉयल हैल्थ कार्ड लक्ष्यों की सूची संलग्न है।
2. प्रदर्शन – मृदा परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरक उपयोग को बढावा देने एवं अधिकाधिक कृषकों तक मृदा जांच सिफारिशों की उपयोगिता को पहुंचाने की दृष्टि से 10 हैक्टेयर क्षेत्र के ब्लॉक प्रदर्शन आयोजन प्रस्तावित है। **प्रति ब्लॉक प्रदर्शन पर राशि रू0 45000** का प्रावधान है। इसी प्रकार मृदा सुधारक, सूक्ष्म पोषक तत्व, बायोफर्टिलाईजर आदि

प्रयोग को बढावा देने के लिये प्रति कृषक लागत का 50 % अथवा अधिकतम 2500 रू0 प्रति हैक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है। उक्त हेतु पृथक से जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये जा रहे है। (कार्यवाही उप निदेशक कृषि (वि0) जि0परी0)

3. प्रशिक्षण – योजना में कृषकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण, स्टॉफ प्रशिक्षण, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण आदि का प्रावधान है। जिसके लिये पृथक से लक्ष्य दिये जा रहे है। (कार्यवाही उप निदेशक कृषि (वि0) जि0परी0)
4. योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आदि के प्रावधान हैं । जिनका मुख्यालय स्तर से सम्पादित करेगें।(कार्यवाही संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन)

योजना का विवरण निम्नानुसार है –

1. **नाम–सॉयल हैल्थ कार्ड योजना**''–राज्य की समस्त कृषि जोत को सॉयल हैल्थ कार्ड वितरण
2. **ध्येय (विजन)** – स्वस्थ धरा – खेत हरा
3. **अवधि** – दो वर्षो (2015–16 एवं 2016–17) ।
4. **प्रस्तावित कार्य** – सिंचित क्षेत्रों में 2.5 हैक्टेयर तथा असिंचित क्षेत्रों में 10 हैक्टेयर ईकाई क्षेत्र से मृदा नमूनों का संग्रहण, एकत्रित मृदा नमूनों का विश्लेषण एवं कम्पयूटराईज्ड सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार कर नमूना ईकाई क्षेत्र के सभी कृषकों को वितरित करना।
5. **कार्यक्षेत्र** – राज्य के समस्त जिलों में।
6. **योजना के घटक –**

6.1 **नमूना संग्रहण** – योजना के तहत मृदा नमूनों के संग्रहण का कार्य विभागीय कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से किया जावेगा।

6.2 **नमूना विश्लेषण** – यह कार्य 32 विभागीय प्रयोगशालाओं के साथ–साथ 14 पूर्व में पी.पी.पी. मोड पर संचालित एवं 55 नवीन विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं से आउट सोर्स से नमूने विश्लेषित किये जायेगें। इसके अतिरिक्त विश्लेषण हेतु राज्य में स्थित विज्ञान, कृषि महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों में मृदा नमूना विश्लेषण की सम्भावनाऐं ज्ञात कि जा रही है। इनमें विद्यमान विश्लेषण क्षमता को भी योजना में अतिरिक्त रूप में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

6.3 **मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार** – विश्लेषण कार्य उपरान्त प्राप्त परिणाम के आधार पर कम्प्यूटराईज्ड सॉयल हैल्थ कार्ड प्रयोगशाला द्वारा तैयार कराये जायेगे। यह कार्य आउटसोर्स के आधार पर भी कराया जायेगा।

6.4 **मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण** – कृषि विस्तार कार्यकर्त्ता विस्तार गतिविधियां जैसे कृषक गोष्ठी, कृषक प्रशिक्षण, मेले आदि आयोजित कर इनमें कृषकों को सॉयल हैल्थ कार्ड का वितरण करेगें। इस हेतु योजना में राशि रू0 500/– प्रति ग्राम पंचायत सॉयल हैल्थ कार्ड वितरण कार्य का प्रावधान है। (बजट आवंटन संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.)

7. **परियोजना की कियाविधि** – यह योजना कृषकों को मृदा जॉच के अनुसार खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु है। जिसे व्यापक स्तर पर, वृहत रूप में एक साथ राज्य के सभी क्षेत्रों में कियान्वित किया जायेगा। इसमें राज्य की समस्त 68.86 लाख जोतों को सॉयल हैल्थ कार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित है। सॉयल हैल्थ कार्ड में मृदा के जॉच परिणाम के साथ–साथ प्रमुख फसलों में संतुलित खाद व उर्वरक उपयोग हेतु सिफारिश अंकित होती है। राज्य में कृषि जोत विभिन्न आकार की है अतः सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने हेतु योजना के निर्धारित नामर्स के अनुसार मिट्टी का नमूना लिया जायेगा।

मिट्टी का नमूना लेने हेतु निर्धारित नामर्स – भारत सरकार द्वारा इस योजना में मिट्टी का नमूना लेने हेतु निम्नानुसार नामर्स निर्धारित किये है –

1. सिंचित क्षेत्रों में – प्रत्येक 2.5 हैक्टेयर ईकाई क्षेत्र में एक नमूना ।
2. असिंचित क्षेत्रों में – प्रत्येक 10 हैक्टेयर ईकाई क्षेत्र में एक नमूना ।

उपरोक्तानुसार सिंचित/असिंचित क्षेत्रों में नमूना ईकाई का निर्धारण करते हुये ईकाई क्षेत्र का एक संयुक्त प्रतिनिधित्व नमूना लिया जायेगा। इसके आधार पर ईकाई क्षेत्र में आने वाली सभी जोत को सॉयल हैल्थ कार्ड दिया जायेगा। (कार्यवाही सम्बन्धित सहायक निदेशक कृषि (वि0)

8. **योजना की कार्यप्रणाली** –

8.1 जिले के समस्त क्षेत्रों में योजना कियान्वित की जानी है।

8.2 समस्त क्षेत्र से मृदा नमूने एकत्रीकरण का कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है।

8.3 इस हेतु वार्षिक आधार पर सभी पंचायत समितियों में वर्ष 2015–16 में लिये गये नमूनों में से शेष रही ग्राम पंचायतों अथवा ग्रामों को चयनित करें। जहां कृषि पर्यवेक्षक पद रिक्त है, उस क्षैत्र के नमूने लेने का कार्य सम्बन्धित सहायक कृषि अधिकारी अपने स्तर पर करायेगे।

8.4 ग्राम/ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्र से नमूना लेने का कार्य इसी वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

9. **नमूना कौन लेगा** –

9.1 योजना अन्तर्गत मिट्टी के नमूने लेने हेतु विभाग के कृषि पर्यवेक्षक को अधिकृत किया गया है। अतः मृदा नमूने लेने उनका संग्रहण एवं प्रयोगशाला तक पहुंचाने के कार्य कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा ।

9.2 सहायक कृषि अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कृषि पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार करायेगे एवं योजना में नमूना एकत्रीकरण से सॉयल हैल्थ कार्ड वितरण तक की समस्त कार्यवाही में निगरानी करेगे व उचित व्यवस्था स्थापित करेगें।

10. **मिट्टी के नमूने एकत्रीकरण की प्रकिया** –

10.1 योजना में मिट्टी के नमूने निर्धारित नामर्स सिंचित क्षेत्र में 2.5 हैक्टेयर ईकाई व असिंचित क्षेत्र में 10 हैक्टेयर ईकाई से लिये जाने हैं।

10.2 नमूना लेने से पूर्व सिंचित व असिंचित क्षेत्रवार नमूना ईकाई का निर्धारण किया जाना महत्वपूर्ण एव आवश्यक है।

10.3 नमूना ईकाई का निर्धारण/ सीमांकन ग्राम के राजस्व रिकार्ड / विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्राम वार, खसरावार नक्शों की सहायता से किया जायेगा।

10.4 **कृषि पर्यवेक्षक संबंधित क्षेत्र के पटवारी के सहयोग से मिलान खसरा रजिस्टर, खसरा गिरदावरी के अनुसार सिंचित व असिंचित क्षेत्र ज्ञात करेगें तथा इन क्षेत्रों में निर्धारित नामर्स अनुसार नमूना ईकाई क्षेत्रों का निर्धारण / सीमांकन कर कुल नमूनों की संख्या ज्ञात करेगें।**

10.5 प्रत्येक नमूना ईकाई क्षेत्र में आने वाली जोत/खसरा का नम्बर व क्षेत्रफल तथा कृषक के नाम अनुसार सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार नमूना ईकाईयों की संख्या से कुल नमूनों की संख्या तथा नमूना ईकाई के कृषकों की सूची से कुल सॉयल हैल्थ कार्ड की संख्या का पता लग सकेगा।

10.6 नमूना सूची का प्रारूप संलग्न है।

11. **नमूना ईकाई/कृषक सूचियों को तैयार करने हेतु व्यवहारिक निर्देश** –

11.1 कुछ जिलों में जहां औसत जोत का आकार छोटा है तथा नमूना ईकाई विशेषतः असिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक जोत/खसरा सम्मिलित हो रहे है तब ऐसी परिस्थिति में मौके की स्थिति के अनुसार नमूना ईकाई को 5 हैक्टेयर की करते हुये नमूने लिये जा सकते है। जैसे कि